17.5.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट कोड में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के संवत् 2064 से 2067 ग्राम वीरपुरा के अनुसार भूमि ख.नं. 71, 73, 74 किता 3 कुल रकबा 1.50 है. की खातेदारी पृथु चन्द माला वीरम वीर के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादिया प्रस्तुत भूमि में प्रतिवादी नं. 1 पृथु के साथ खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहती है। प्रस्तुत वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज से यह साबित नहीं होता है कि प्रतिवादी की खातेदारी में उक्त वर्णित भूमि कब दर्ज हुई तथा ना ही कोई नामान्तरकरण का हवाला दिया गया है उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वादिया का वाद पत्र साबित नहीं होता है। अगर उक्त वर्णित भूमि विरासत के जरिये नामान्तरकरण के प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में दर्ज हुई है तो वादिया को उस नामान्तरकरण को चुनौती दी जानी चाहिए थी लेकिन वाद पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। उक्त विवेचना से वादिया का वाद पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादिया का वाद पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

~~पत्रावली~~ निर्णय आज दिनांक 17.5.18 को कैम्प कोर्ट कोड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी